

आपके अधिकार मेरे कर्तव्य हैं
और
मेरे अधिकार आपके कर्तव्य हैं

**YOUR RIGHTS ARE MY DUTIES
AND
MY RIGHTS ARE YOUR DUTIES**

FUNDAMENTAL RIGHTS OF CITIZENS OF INDIA

- **Right to Equality**
- **Right to Freedom**
- **Right against Exploitation**
- **Right to Freedom of Religion**
- **Cultural and Educational Rights**
- **Right to Constitutional Remedies**

FUNDAMENTAL DUTIES OF CITIZENS OF INDIA

- To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem.
- To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom.
- To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India.
- To defend the country and render national service when called upon to do so.
- To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities and to renounce practices derogatory to the dignity of women.
- To value and preserve the rich heritage of our composite culture.
- To protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures.
- To develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform.
- To safeguard public property and to abjure violence.
- To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement.
- Parent or guardian to provide opportunities for education to his child or ward between the age of six to fourteen years.

भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार

- समानता का अधिकार
- स्वतंत्रता का अधिकार
- शोषण के विरुद्ध अधिकार
- धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार
- संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
- संवैधानिक उपचारों का अधिकार

भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

- संविधान का पालन करना व उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्र गान का आदर करना।
- स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना ।
- भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना।
- देश की रक्षा करना और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करना ।
- भारत के लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करना जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो ; साथ ही ऐसी प्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं ।
- हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना।
- वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीवन सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा एवं सुधार करना और प्राणिमात्र के लिए दयाभाव रखना ।
- मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा ज्ञानार्जन एवं सुधार की भावना का विकास करना।
- सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं हिंसा से दूर रहना।
- व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिये प्रयास करना ताकि राष्ट्र लगातार उच्च स्तर की उपलब्धि हासिल करे।
- छः से चौदह वर्ष तक के आयु के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना।